



प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय:- पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह जनवरी, 2026 के लिए सामान्य समनुदेशन की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के "लेखा शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" में पंचायतीराज संस्थाओं हेतु सामान्य समनुदेशन की व्यवस्थित धनराशि रुपये 10,800.00 करोड़ में से माह जनवरी, 2026 के लिये रुपये 900.00 करोड़ (रुपया नौ सौ करोड़ मात्र) की धनराशि पंचायतीराज संस्थाओं को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों, ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मध्य आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार किया जायेगा।
- (2) पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के खाते में जमा की जायेगी।
- (4) निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायती राज संस्थाओं का बैंक खाता आई.एफ.एस.सी कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
- (5) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
- (7) पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

क्र.सं	निकाय का नाम	लेखाशीर्ष	धनराशि (करोड़ में)
1.	जिला परिषद / जिला स्तरीय पंचायत	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196- जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	135.00
2.	ब्लाक पंचायत/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायत	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	135.00
3.	ग्राम पंचायत	“3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- 03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन- 01-सामान्य समनुदेशन- 28-समनुदेशन”	630.00
योग			900.00

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2026/बी-2-14(1) /दस- 2026/10-14002(002) /1/2021, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2-अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, राज्य वित्तीय योजना एवं संसाधन निदेशालय (डी.एफ.पी.आर.), उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।